# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/395

1. शोजी
2. हजारा पिसरान उदा गुर्जर निवासी रानीपुरा ।
3. उरजा आत्मज जगन्नाथ गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 09.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन ) नियम, 1968 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी शोजी, हजारा पिसारान उदा हिस्सा 1/2, उरजा वल्द जगन्नाथ 1/2 जाति गुर्जर निवासी रानीपुरा को दिनांक 15.06.1976 को ग्राम रानीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 3.07 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । उक्त भूमि आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज है परन्तु उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । इस प्रकार आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को नाटिस मिलने पर वकालतनामा पेश करके जवाब पेश करने का अवसर लिया एवं दिनांक 18.05.2016 की पेशी पर राजस्व लोक अदालत कैम्प रानीपुरा में उपस्थित होकर जवाब नोटिस एवं दसतावेजात प्रस्तुत किये इसके पश्चात् बहस सुनी जाने के लिए दिनांक 27.05.2016 पेशी नियत की गई किन्तु इस पेशी पर ग्राम चतरगंज कैम्प में बहस नहीं सुनी गई तथा बहस के लिए आगामी पेशी दिनांक 06.07.2016 एवं 15.07.2016 नियत की गई किन्तु जुलाई 2016 में राजस्व लोक अदालत के कैम्प बढाये जाने एवं पेशी नियत की जाने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि शोजी, हजारा आत्मज उदा व श्री उरजा के नाम आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी जो राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियत 17 ए के तहत आवंटन शर्तों का उल्लंघन है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में रखते हुए कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र राजीनामा एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा